कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास

जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)
फ़ोन -07856252037 ईमेल -dmdantewada.csr@gmail.com

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश

/क -2101131999872

दंतेवाड़ा / दिनांक - 06/12/20

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दंतेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक दिनांक 25/11/2021 के निम्नलिखित उल्लेखित अनुमोदित कार्य के लिए रूपये ₹66,32,000.00 (छियासठ लाख बत्तीस हजार ₹) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण	
कार्य का नाम -	जिले में युवाओं के खेल-कूद गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कार्य
कार्य की प्राथमिकता -	अन्य प्राथमिक कार्य
सेक्टर -	प्रमोशन ऑफ़ यूथ एक्टिविटीज / -
सब सेक्टर -	खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामाजिक/शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन सम्बंधित कार्य।
कार्य की अवधि (दिनों में) -	180

कार्य स्थल

क्र.	कार्य स्तर	जिला	क्षेत्र	तहसील /नगरी निकाय	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम/वार्ड	विधानसभा
1	District Level	DANTEWADA	-	-	-	-	-	दन्तेवाड़ा

स्वीकृत क्षेत्र की स्थिति-	प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र
तकनीकी स्वीकृति क्र /दिनांक -	9987 / 17-11-2021
तकनीकी स्वीकृति की राशि -	₹66,32,000.00 (छियासठ लाख बत्तीस हजार ₹)
प्रशासकीय स्वीकृति की राशि -	₹66,32,000.00 (छियासठ लाख बत्तीस हजार ₹)
प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र की राशि -	₹66,32,000.00 (छियासठ लाख बत्तीस हजार ₹)
कार्य एजेंसी-	Divisional Forest Officer Dantewada वन विभाग दंतेवाड़ा

(प्रथम किस्त के रूप में राशि रु ₹26,52,000.00 (छब्बीस लाख बावन हजार) प्रदत्त की जाती है)

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है:-

1 - कार्य संपादन में राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों निर्देशों तथा तकनीकी स्वीकृति अनुसार मापदण्ड का कड़ाई से पालन किया जावे। योजनाओं से संबंधित स्वीकृत कार्य, अनुमोदित कार्ययोजना/क्षेत्रक के अनुसार एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के हितग्राही को ध्यान में रखते हुए ही कराया जावे जिससे कि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो।
2 - किसी भी स्थिति में प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय न किया जावे। निर्माण कार्य स्वीकृत राशि की सीमा में ही पूर्ण किया जाये। व्ययाधिक्य की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी ही जवाबदेह होंगे। मजदूरों को शासन द्वारा स्वीकृत दर से मजदूरी भुगतान किया जाये। तथा स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जावे। यदि अन्य जिले या राज्य से श्रमिक को कार्य में लिए जाने की आवश्यकता हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के पश्चात ही लिया जाए।
3 - कार्यस्थल पर कार्य चलते समय बोर्ड प्रदर्शित करें, जिसमें कार्य के सम्बन्ध में सभी जानकारियों का विवरण हो, साथ ही योजना का मोनो लगा हुआ होना अनिवार्य है।
4 - स्वीकृत कार्यों का निर्माण निजी भूमि पर नहीं किया जा सकता है। यदि छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि पर निर्माण कार्य प्रस्तावित हो एवं वन संरक्षण नियम 1980 के तहत् यदि प्रावधान आकृष्ट हो रहे हों तो जिला स्तरीय समिति से निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाकर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
5 - सामग्री क्रय करते समय छ.ग. भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप एवं क्रय की प्रक्रिया GEM/डी.जी.एस.एण्ड डी./जी.एस.आई.डी.सी./खुली निविदा अनुसार स्वीकृत दर का पालन किया जावे। किसी भी वित्तीय अनियमितता की स्थिति में कार्यएजेन्सी ही जवाबदेह होंगे।
6 - छ.ग. भर्ती नियमानुसार नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय का भुगतान नियुक्ति की शर्तों के अनुसार की जावें।
7 - निर्माण कार्यों के संपादन में नियमानुसार विभागीय निविदा प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जावे। राशि का उपयोग, जिस कार्य के लिये राशि दी जा रही है, उसी कार्य के लि ही किया जावे।
8 - मुख्य खनिजों के खनन संक्रियाओं क्षेत्रों के नियम 6 (1) (क) एवं (ख) के तहत् प्रभावित क्षेत्र विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य कराया जावे। हितग्राही मूलक कार्य हेतु कार्यस्थल/ हितग्राहियों का चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमोदन पश्चात् कार्य प्रारंभ कराना होगा।
9 - निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का खनिज विभाग से रायल्टी क्लियरेंस अनिवार्य रूप से करावें।
10 - कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11 - कार्य की समाप्ति पर राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे।
12 - कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जिला स्तरीय गठित समिति से भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जावें।
13 - विभाग से प्राप्त प्रस्ताव/मांग तथा प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य स्वीकृति प्रदान की गई है।
14 - उक्त स्वीकृत राशि का व्यय/उपयोग जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-2015 यथासंशोधित नियम-2019 के नियम-22 - 3 (ख) के प्रावधान अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें।
15 - कोवेन्स कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कार्यस्थल पर मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं हाथ धुलाई को ध्यान में रखते हुए कार्य कराये जावे।
16 - स्वीकृत कार्य के क्रियान्वयन में दिये गये नियम/शर्तों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।
17 - कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्वीकृत कार्य किसी के लिए प्रस्तावित मद अथवा अन्य विभागीय मद में स्वीकृत नहीं है। संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी उक्तानुसार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत होने की स्थिति में यह प्रशासकीय स्वीकृति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा संबंधित कार्य के लिये प्रदानित राशि इस कार्यालय को समर्पित की जावे।